उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका संख्या 1662 (एस/एस)/2021

राजन सिंह गुसाईं ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य एवं अन्य ....उत्तरदाता

उपस्थितः–

श्री दिनेश गहतोरी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता। श्री राकेशकुंवर, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक/प्रतिवादी संख्या 1 और 2.
श्री ललित सामंत, प्रतिवादी संख्या के अधिवक्ता।

आदेश की तिथिः 20.10.2022

माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी,

याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 02.08.2019 को जारी विज्ञापन के अनुसार सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड पे (पोस्ट कोड 132) के पद के लिए चयन में भाग लिया। उक्त विज्ञापन द्वारा, उक्त पद पर 280 रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं, हालांकि, 16.12.2020 को जारी एक शुद्धिपत्र द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाकर 150 कर दी गई, जिनमें से 15 "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए आरक्षित थीं।

2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऑनलाइन जमा किए गए अपने आवेदन में याचिकाकर्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा किया है, हालांकि, वह इस तरह के आरक्षण का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। चयन का परिणाम 19.12.2020 को घोषित किया गया था और याचिकाकर्ता को 82 प्रतिशत अंकों के साथ प्रश्नगत पद के लिए समग्र योग्यता सूची में क्रम संख्या 3 पर रखा गया था।

3. चयन संस्था के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित सामंत ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया था और उसने सभी सफल उम्मीदवारों के बीच तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त किये थे।

4. याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आरक्षण के अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

5. इस रिट याचिका के जरिए याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष चाहें हैः

(i) "दिनांक 2.8.2019 के विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें। याचिकाकर्ता सामान्य/अनारक्षित/खुली श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और चोट होगी।

(ii) प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी कर याचिकाकर्ता को सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III- के पद पर नियुक्ति दें।

(iii)कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।

(iv) रिट याचिका की लागत का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में करें" ।

6. चयन निकाय ने जवाबी हलफनामा में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था इसलिए, उसे एक नोटिस जारी किया गया था । इसे प्रस्तुत न करने के लिए याचिकाकर्ता का उत्तर संतोषजनक नहीं था, नतीजतन, उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। हालाँकि, जिस आदेश से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी अस्वीकृत की गई थी वह रिकॉर्ड पर नहीं लाया

गया। जब चयनकर्ता संस्था के विद्वान अधिवक्ता से यह विशिष्ट प्रश्न पूछा गया तो इसपर उनका कहना था कि उन्हें ऐसे किसी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

7. एकमात्र प्रश्न, जो इस रिट याचिका में विचाराधीन है, वह यह है कि क्या सार्वजनिक रोजगार में ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को अनारक्षित पद की नियुक्ति से वंचित इस कारण किया जा सकता है कि ऐसे आरक्षण के लिए उसने अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

8. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड–III के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है। उन्होंने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में ऑनलाइन आवेदन जमा किया, जिसमें उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त की। हालाँकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु सीमा के भीतर है और उसने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है, जैसा कि किसी अन्य सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के उम्मीदवारों को मिलने वाली कोई रियायत नहीं दी गई।

9. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती, और वह अनारक्षित पद पर या खुली श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का हकदार है। आगे यह तर्क दिया गया है कि एक उम्मीदवार, जो किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है, अनारक्षित पदों के खिलाफ विचार करने का हकदार है, जिसे "खुली श्रेणी" के रूप में भी जाना जाता है और यह सभी उम्मीदवारों के लिए उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बावजूद उपलब्ध है।

10. यह न्यायालय याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद में बल पाता है। सौरव यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2021) 4 एससीसी 542 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में बताया गया है कि खुली श्रेणी एक 'कोटा' नहीं है जिसे किसी विशेष श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है, बल्कि यह सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। पैराग्राफ नं. उक्त निर्णय का 66 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"66 मैं यह कहकर निष्कर्ष निकालूंगा कि आरक्षण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। इन्हें कठोर "स्लॉट" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक उम्मीदवार की योग्यता, जो अन्यथा उसे दिखाए जाने का अधिकार देती है यदि राज्य के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो खुली सामान्य

श्रेणी को बंद कर दिया जाता है। ऐसा करने से, सांप्रदायिक आरक्षण हो जाएगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी को उनके आरक्षण की सीमा तक सीमित कर दिया जाएगा, इस प्रकार योग्यता को नकार दिया जाएगा। श्रेणी सभी के लिए खुली है, और इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार की एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही उसे किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उपलब्ध हो या नहीं।''

11. राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य, (2016) 4 एससीसी 754 के मामले में में, ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र जमा करने में देरी के कारण, कुछ उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने चयनकर्ता संस्था को ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उनके आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देकर उनकी रिट याचिका का निपटारा कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बहाल कर दिया। उक्त निर्णय का पैराग्राफ नं. 18वाँ भाग नीचे दिया गया है:

"18. हमारे विचार में, पुष्पा में दिया गया निर्णय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति के अनुरूप है, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पारित निर्णय और आदेश को उलटने में गलती की विद्वान एकल न्यायाधीश ने, इंद्रसाहनी और वलसम्मा पॉल (वलसम्मा पॉल, जिसमें इस न्यायालय ने निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39–ए की व्याख्या के बाद इस न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा निर्धारित प्रश्न पर बाध्यकारी मिसाल पर ध्यान दिए बिना राज्य की नीति का मानना है कि आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का उद्देश्य सार्वजनिक रोजगार में असमानता को दूर करना है, क्योंकि इन श्रेणियों के उम्मीदवार सदियों के उत्पीड़न और अवसर से वंचित होने के परिणामस्वरूप सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। . संविधान की प्रस्तावना के साथ–साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39–ए में आरक्षण की संवैधानिक अवधारणा समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को उलटने में गलती की। इसलिए, 2011 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 562 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश न केवल गलत है, बल्कि कानून में त्रुटि से भी ग्रस्त है क्योंकि यह इंद्रसाहनी और इस न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी मिसाल का पालन करने में विफल

रहा है। वलसम्मा पॉल. इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश (दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बनाम राम कुमार गिजरोया, रद्द किए जाने योग्य है और तदनुसार रद्द किया जाता है। राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24–11–2010 को पारित निर्णय और आदेश। (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (राम कुमार गिजरोया बनाम सरकार। (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), आदेश दिनांक 24–11–2010 (डेल)) को इसके द्वारा बहाल किया जाता है।"

12. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैराग्राफ नं.7 में कहा कि 2019 में, जब विज्ञापन जारी किया गया था, उस वक्त ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षण की नई शुरुआत की गई थी और ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे थे। इस संदर्भ में,रिट याचिका के पैराग्राफ नं. 7 नीचे दी गई हैः

"7. विज्ञापन दिनांक 2–8– के अनुसरण में 2019 याचिकाकर्ता ने पद के लिए पात्र होने के कारण आवेदन किया। चूंकि याचिकाकर्ता 2019 के अधिनियम संख्या 7 की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए उसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन किया, हालांकि उस समय ईडब्ल्यूएस होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की योजना राज्य में नई शुरू की गई थी। उत्तराखंड के. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रतिवादी संख्या द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 3. आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वह सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर रहा है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, इसलिए उसने अनजाने में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कर दिया। यहां प्रस्तुत है कि चूंकि ई. डब्ल्यू.एस आरक्षण एक ऊर्ध्वाधर आरक्षण है और याचिकाकर्ता ने अनारक्षित/सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति इस रिट याचिका के अनुबंध संख्या 3 के रूप में दायर की जा रही है।"

13. हमारा संविधान सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। उसका अनुच्छेद 16 पुनः प्रस्तुत किया गया है नीचेः

"16. सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता (1) राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को नहीं रोकेगा

किसी वर्ग या वर्गों के रोज़गार या किसी कार्यालय में नियुक्ति के संबंध में, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के तहत, या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के संबंध में, उस राज्य के भीतर निवास के संबंध में किसी भी आवश्यकता को निर्धारित करने वाला कोई कानून बनाने से। केंद्र शासित प्रदेश) ऐसे रोजगार या नियुक्ति से पहले।

(4) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जिसका राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

(4ए) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण 5 (किसी भी वर्ग के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के मामलों में) या पदों के वर्गों के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। अनुसूचित जनजातियाँ, जिनका, राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।)

(4बी) इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को किसी वर्ष की किसी भी अपूर्ण रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगी जो खंड (4) या खंड (4ए) के तहत किए गए आरक्षण के किसी भी प्रावधान के अनुसार उस वर्ष में भरने के लिए आरक्षित हैं। किसी भी अगले वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों की अलग श्रेणी और रिक्तियों की ऐसी श्रेणी को पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें वे भरे जा रहे हैं।

(5) इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान या उसके शासी निकाय के किसी भी सदस्य के मामलों के संबंध में एक कार्यालय का पदधारी एक विशेष धर्म को मानने वाला या एक विशेष संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति होगा।

[(6) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को मौजूदा आरक्षण के अलावा, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में

नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। अधिकतम दस प्रतिशत के अधीन. प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या।),"

14. अनुच्छेद 16 (1) और (2) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सभी नागरिक राज्य के तहत रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता के हकदार हैं और न ही उन्हें धर्म,जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास आदि नस्ल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और न ही राज्य के तहत नियुक्ति के लिए इन आधारों पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। हालाँकि, राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान कर सकता है, जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

15. यदि संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और (2) की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो चयनकर्ता निकाय की कार्रवाई स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है। माना जाता है कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है, जिसे राज्य के तहत रोजगार का अधिकार है। यदि उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर ई.डब्ल्यू.एस. के उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो उसे अनारक्षित पद पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का भी अधिकार है। दूसरे शब्दों में, खुली श्रेणी में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के उसके अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।

16. यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। राज्य विधानमंडल ने उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित पारित किया है और उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 3(5) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

"3(5) यदि उप–धारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति सामान्य उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो ऐसी श्रेणी के लिए, उप–धारा(1) के तहत" उसे आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

17. उपरोक्त प्रावधान स्थापित कानूनी स्थिति के अनुरूप है कि एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार, जो अपने उच्च अंकों के आधार पर अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ चयनित होता है, उसे आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा और उसे अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार, भले ही याचिकाकर्ता ने ई.डब्ल्यू.एस.

का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो, तब भी उसे योग्यता सूची में उसकी रैंकिंग के कारण अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया जाना चाहिए था।

18. इस मामले का एक और पहलू भी है। समाज के कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति, जिसे आरक्षण का लाभ उपलब्ध है, उसे उपलब्ध आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यह उसे तय करना है कि वह आरक्षण का लाभ लेना चाहता है या नहीं। यदि वह आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो चयन निकाय के लिए यह खुला नहीं है कि वह जाति/आर्थिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दे और चयन निकाय अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ उसके दावे पर विचार करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, यदि वह अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित पद पर चयनित हो जाता है, तो उसकी जाति/आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।आरक्षण नागरिकों के सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है और किसी को भी उसकी योग्यता/प्रयास के फल से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसने आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

19. दूसरे शब्दों में, सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों को उसकी जाति/आर्थिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करके दंडित नहीं किया जा सकता है।

20. मामले को देखते हुए रिट याचिका स्वीकार की जाती है। सचिव, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सहायक कृषि अधिकारी ग्रेड III के पद पर अनारक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने और इसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी)

पूजा